

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 95]	दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 28, 2018/वैशाख 8, 1940	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 507
No. 95]	DELHI, FRIDAY, APRIL 28, 2018/VAISAKHA 8, 1940	[N.C.T.D. No. 507

भाग—IV
PART—IV

श्रम विभाग
शुद्धि-पत्र

दिल्ली, 27 अप्रैल, 2018

फा. सं. अति.श्र.आ.-II/2013/1152.—दिल्ली के असाधारण राजपत्र भाग—IV में दिनांक 23 अप्रैल, 2018 को प्रकाशित भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (रोजगार का नियमन एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत पंजीकरण अधिकारी से संबंधित श्रम विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिसूचना संख्या अति.श्र.आ.- II/2013-1087 में “भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (रोजगार का नियमन एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1996 की धारा 6 के साथ पठित” के स्थान पर “भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (रोजगार का नियमन एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1996 की धारा 12 की उपधारा 2 के साथ पठित दिल्ली भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (रोजगार का नियमन एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2002 का नियम 266 एवं” शब्द रखे जाएं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,
नीता शर्मा, उप-सचिव

**LABOUR DEPARTMENT
CORRIGENDUM**

Delhi, the 27th April, 2018

F. No. Addl.L.C-II/ 2013/1152.—In the notification of the Labour Department, Government of National Capital Territory of Delhi, published in Part IV of Delhi Gazette Extraordinary *vide* no. Addl.L.C-II/ 2013/1087 dated 23rd April 2018 relating to Registering Officers under Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Services) Act, 1996 (27 of 1996), the words “In exercise of the powers conferred by

section 6 of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Services) Act, 1996 (27 of 1996) read with” shall be substituted by the words “In exercise of the powers conferred by sub-section 2 of section 12 of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Services) Act, 1996 (27 of 1996) read with Rule 266 of Delhi Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Services) Rules, 2002 and”.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
NITA SHARMA, Dy. Secy.

RAKESH
SUKUL

Digitally signed by RAKESH
SUKUL
Date: 2018.05.03 18:55:51
+05'30'